

## **Details of Adulterated Food Samples**

**744. SH. JAGBIR SINGH MALIK, MLA:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to State:

- a) the districtwise details of the samples of food found adulterated by the Government in State from April, 2016 till to date;
- b) the number of cases registered for above said adulterated samples togetherwith the year wise number of accused sentenced to imprisonment; and
- c) the districtwise target set by the Government for taking food samples in State during the above said period togetherwith the reasons for not achieving that targets alongwith the action taken by the Government for not achieving the said targets?

**Anil Vij, Health Minister**

- a) & b) Sir, a statement is placed on the table of the house.
- c) The target for taking the food samples per Food Safety Officer per month has been fixed. Food and Drugs Administration Department had fixed a target for taking 30 food samples per month per Food Safety Officer from their respective Districts, on 07.03.2012 and further clarified vide letter dated 18.09.2018. But the matter is regularly discussed in Central Advisory Committee (Government of India) and observed that the Food Safety Officers have to perform many other duties like to attend Court Cases, Additional Deputy Commissioner Court in adjudication cases, inspections, workshops for awareness, surprise raids, special drives, VVIP duties, registration of Food Business Operators and have to promote various schemes launched by Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) to implement the FSS, Act, 2006 in concerned States. Therefore, FSSAI has advised to take 08 to 14 Food Samples per month per Food Safety Officer.

The details of target fixed by FSSAI for Haryana State and achieved by Food Safety Officers are as under:-

Year	Target of Food Samples for Haryana State	Samples taken by FSOs of Haryana during the year	% Shortfall (-)/ Excess (+)
2016-17	--	2217	Target not fixed by FSSAI
2017-18	--	2545	Target not fixed by FSSAI
2018-19	3500	2992	(-)14.6
2019-20	3000	2409	(-)20
2020-21	1500	2547	(+)69

The target fixed by Food & Drugs Administration Department could not be achieved by Food Safety Officers, due to acute shortage of Food Safety Officer in Haryana State. The Department has filled 11 posts of Food Safety Officers by taking the Officers on deputation basis for achieving the targets of Food Samples. The Food Safety Officers have achieved the targets fixed by FSSAI during the year 2020-21. It shows that now the Food Safety Officers in Haryana State are achieving their targets. However, the department has sent requisition for 41 vacant posts of Food Safety Officers to HPSC, which is under process.

## मिलावटी खाद्य नमूनों के विवरण बारे

744, श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि—

- क) राज्य में अप्रैल, 2016 से अब तक सरकार द्वारा मिलावटी खाद्य नमूनों के नमूनों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
- ख) उपरोक्त मिलावटी नमूनों के लिए पंजीकृत मामलों की संख्या क्या है तथा सजा सुनाए जाने वाले दोशियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; तथा
- ग) उपरोक्त समयावधि के दौरान राज्य में सरकार द्वारा खाद्य नमूने एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य का जिलावार ब्यौरा क्या है? तथा उस लक्ष्य को प्राप्त न करने के कारण क्या है तथा उक्त लक्ष्य को सरकार द्वारा प्राप्त न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

### अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री

- क) एवं ख) श्रीमान जी, एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।
- ग) प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रति माह खाद्य नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अपने संबंधित जिले से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 30 खाद्य नमूने लेने का लक्ष्य दिनांक 07.03.2012 द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे पत्र दिनांक 18.09.2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है। परन्तु इस मामले पर केन्द्रीय सलाहकार समिति (भारत सरकार) में नियमित रूप से चर्चा की गई और देखा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कई अन्य कर्तव्यों का पालना करना पड़ता है जैसे कि अदालती मामलों में भाग लेना, अतिरिक्त उपायुक्त न्यायालय में अधिनिर्णयन (adjudication cases) मामलों के निपटान हेतु भाग लेना, निरीक्षण करना, जागरूकता के लिए कार्य चालाएं लगवाना, औचक निरीक्षण करना, विशेष अभियान चलाना, वीडियोआईपीओ डियूटीज करना, खाद्य कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण करना और संबंधित राज्यों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत

सरकार द्वारा भुरू की गई बहुत सी योजनाओं को बढ़ावा देना होता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 08 से 14 खाद्य नमूने लेने की सलाह दी है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये लक्ष्यों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	हरियाणा राज्य के लिए खाद्य नमूनों का लक्ष्य	हरियाणा राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गये खाद्य नमूने	% कमी (-)/ अधिकता (+)
2016—17	—	2217	खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।
2017—18	—	2545	खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।
2018—19	3500	2992	(-) 14.6
2019—20	3000	2409	(-) 20
2020—21	1500	2547	(+) 69

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण हरियाणा राज्य में खाद्य एवं औशधि प्र गसन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकें। खाद्य नमूनों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 11 पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर लेकर भरा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020—21 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अब हरियाणा राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी, विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 41 रिक्त पदों का मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा हुआ है, जो विचाराधीन है।

District wise and Year wise details of Food samples found adulterated and cases registered in Haryana State from April, 2016 to December, 2021.										
Sr.No.	Districts		Number of case registered from April, 2016 to December, 2021.							
		No. of Samples found adulterated from April, 2016 to Dec, 2021.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total no of Registered cases	Total Numbers of accused sentenced to imprisonment during the period of April, 2016 to December, 2021
1	Ambala	185	24	14	21	6	31	37	133	0
2	Bhiwani	104	0	0	0	6	9	35	50	0
3	Charkhi Dadri	40	0	0	1	8	12	4	25	0
4	Faridabad	301	23	40	81	21	5	12	182	5 (08.12.2018, 17.07.2019, 22.04.2018, 22.04.2018 and 08.09.2021)
5	Fatehabad	276	38	61	57	37	43	38	274	0
6	Gurugram	336	39	88	65	45	37	49	323	4 (2013) (2014),(2) cases decided in year 2017)
7	Hisar	245	4	21	22	10	10	49	116	0
8	Jhajjar	130	11	6	14	6	11	45	93	0
9	Jind	161	6	22	11	12	3	34	88	0
10	Kaithal	120	21	10	13	12	28	22	106	0
11	Karnal	223	6	14	38	32	16	24	130	1 (02.05.2018)
12	Kurukshetra	148	35	36	16	3	19	35	144	3 22.08.2017,12.09.2017 and 08.05.2018, TRC
13	Mahendergarh	118	1	0	11	20	16	24	72	0
14	Mewat	139	23	20	15	5	6	24	93	0
15	Palwal	129	25	27	26	11	25	3	117	0
16	Panchkula	177	19	34	27	14	37	14	145	0
17	Panipat	317	9	7	67	14	10	16	123	0
18	Rewari	132	21	13	10	13	18	7	82	0
19	Rohtak	160	11	16	20	10	9	27	93	0
20	Sirsa	141	18	25	14	19	14	26	116	0
21	Sonepat	174	13	25	12	8	4	45	107	0
22	Yamauna Nagar	108	7	2	11	7	7	7	41	4 (21.11.2017,13.09.2018)
Total		3864	354	481	552	319	370	577	2653	17